रामकरण बनाम मैसर्स शिव मनोरमा
239/2024

6/12/24 पत्रावली पेश हुई। पी०ओ० [illegible] अन्य राजकार्य में व्यस्त [illegible] पत्रावली [illegible]अनुसार दिनांक ~~27/12/24~~ 13/12/24 को पेश हों।

13/12/24 पत्रावली पेश हुई। पी०ओ० अन्य राजकार्य में व्यस्त हैं [illegible] पत्रावली [illegible]अनुसार दिनांक 20/12/24 को पेश हों। JDR सांगानेर [illegible]

20/12/24 पत्रावली पेश हुई। पी०ओ० [illegible] अन्य राजकार्य में व्यस्त [illegible] पत्रावली [illegible]अनुसार दिनांक 3/1/25 को पेश हों।

3/1/25 पत्रावली पेश हुई। वकील आवेदक उपस्थित [illegible] आवेदक व पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन करने पर वादी का वाद [illegible] किया। [illegible] लिखा जाकर [illegible] पत्रावली [illegible] पत्रावली [illegible] बाद तामील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

1

न्यायालय माननीय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय सांगानेर जिला जयपुर

राजस्व वाद संख्या :– ———/2024

1. रामकरण,
2. रामदयाल
3. गणेश नारायण
4. हनुमान सहाय, पुत्रान लक्ष्मण उर्फ लक्ष्मीनारायण, जाति जाट, निवासी मोहनपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

———वा

बनाम

1. मेसर्स शिव मनोरमा डवलर्पस प्रा.लि. निंदेशक मुकेश यादव पुत्र श्री गोपाल यादव जाति अहीर, नि. पंजीकृत कार्यालय 158, महावीर नगर बी. बाबा पेरा के पास गोल्यावास मानसरोवर जयपुर।
2. जयपुर विकार प्राधिकरण जरिये सचिव जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर।
3. राज. सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर जि. जयपूर।

——— प्रतिवा

वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राज. काश्त अधिनियम 1955

महोदय,

वादीगण द्वारा वाद पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत हैः–

1. यह कि राजस्व ग्राम बालावाला पटवार हल्का लाखना, भू–अभिलेख नि
क्षेत्र मुहाना, तहसील सागांनेर जिला जयपुर स्थित हाल जमाबन्दी सम्वत
से 2077 के खाता ख. 208 गत खाता संख्या 180 के ख.न. 35/1012
0.1000 है., ख.न. 36 रकबा 0.4400 है. ख.न. 37 रकबा 0.4200 है., ख
रकबा 0.3800 है, ख.न. 39 रकबा 0.5900 है., ख.न. 40 रकबा 0.7800
न. 41 रकबा 0.1300 है., ख.न. 42 रकबा 0.5000 है., ख.न 43 रकबा
गै.मु. चाह, ख.न. 44 रकबा 0.3300 है., ख.न. 45 रकबा 0.7800 है., कुल
11 कुल रकबा 4.4700 है., के वादीगण स. 1 लगायत 4 हिस्से 1/4, 1
काबिज रेकोर्डेड खातेदार काश्तकार है, जिसका उपयोग–उपभोग वादीगण
किसी बाधा के करते आ रहे है।
2. यह कि वाद के मद नम्बर 1 में वर्णित वादीगण की भूमि एवं इसके सीं
पश्चिम दिशा में लगवा खसरा नम्बर 31, 32, 33, 34, 35, 44/993, कुल
6 रकबा 1.9900 है., की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा विकसीत आवसीय
शिवांक ईम्पोटेक सिटी ब्लोक–1 की भूमि जो राजस्व रेकोर्ड हाल जमा
प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज है।
3. यह कि वाद पत्र के मद नम्बर 1 व 2 में वर्णित भूमि विवादित है जि
पत्र के अन्य मदो में विवादित भूमि से सम्बोधित किया गया हैं।
4. यह कि वादीगण की उक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 35/1012, 36
पश्चिम दिशा में सींव जोड लगवा वाद पत्र के मद नम्बर 2 में वर्णि
भूमि खसरा नम्बर 32, 33, 35, 44/993, की तरफ सींव पर मिट्टी की

रामकरण रामदयाल गणेश हनुमान

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र संख्या :239 / 2024
निर्णय दिनांक : 03.01.2025

उनवान

1. रामकरण,
2. रामदयाल
3. गणेश नारायण
4. हनुमान सहाय, पुत्रान लक्ष्मण उर्फ लक्ष्मीनारायण, जाति जाट, निवासी ग्राम मोहनपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. मेसर्स शिव मनोरमा डवलर्पस प्रा.लि. निदेशक मुकेश यादव पुत्र श्री गोपाल लाल यादव जाति अहीर, नि. पंजीकृत कार्यालय 158, महावीर नगर वी बावा पेराडाईज के पास गोल्यावास मानसरोवर जयपुर।
2. जयपुर विकार प्राधिकरण जरिये सचिव जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर

प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत स्थाई निंषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांकः 03.01.2025

वादीगण की ओर से पेश वाद पत्र का विवरण इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम बालावाला पटवार हल्का लाखना, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मुहाना, तहसील सागांनेर जिला जयपुर स्थित हाल जमावन्दी सम्वत 2074 से 2077 के खाता 208 गत खाता संख्या 180 के ख.न. 35 / 1012 रकवा 0.1000 है., ख.न. 36 रकवा 0.4400 है. ख.न. 37 रकबा 0.4200 है., ख.न. 38 रकवा 0.3800 है, ख.न. 39 रकवा 0.5900 है., ख.न. 40 रकबा 0.7800 है., ख. न. 41 रकवा 0.1300 है,, ख.न. 42 रकवा 0.5000 है., ख.न 43 रकबा 0.0200 गै.मु. चाह, ख.न. 44 रकवा 0.3300 है,, ख.न. 45 रकवा 0.7800 है.. कुल किता 11 कुल रकबा 4.4700 है.. के वादीगण स. 1 लगायत 4 हिस्से 1/4, 1/4 के काबिज रेकोर्डेड खातेदार काश्तकार है, जिसका उपयोग उपभोग वादीगण बिना किसी बाधा के करते आ रहे है। वादीगण की भूमि एवं इसके सींव जोड पश्चिम दिशा में लगवा खसरा नम्बर 31, 32, 33, 34, 35, 44 / 993, कुल किता 6 रकवा 1.9900 है., की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा विकसित आवासीय योजना

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

शिवांक इंफ्रोटेक सिटी ब्लॉक 1 की भूमि जो राजस्व रेकोर्ड हाल जमाबन्दी मे प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज है। वाद में वर्णित भूमि विवादित है जिसे वाद पत्र के अन्य मदो में विवादित भूमि से सम्बोधित किया गया हैं। वादीगण की उक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 35/1012, 36 से 45 पश्चिम दिशा में सींव जोड लगवा वाद पत्र के मद नम्बर 2 में वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 32, 33, 35, 44/993, की तरफ सींव पर मिट्टी की कच्ची मेड निर्मित है जिसके बाबत पिछले कुछ समय से प्रतिवादीगण 1 की नियत में बेईमानी आ रही हैं। प्रतिवादीगण भू-माफिया व असामाजिक तत्वो से सांठ गांठ रखने वाले व बदमाश किस्म के व्यक्ति हैं, तथा जिन्होने सोसायटी वालो से मिलकर एक नाजायज गिरोह बना रखा है। जो गरीब किसानो की ओने-पोने दामो में जमींन खरीद कर पडोसी काश्तकारो से सिव जोड पर विवाद करके नाजायज रूप से उनकी भूमि हडपने का व्यवसाय करने का अवैध गिरोह बना रखा है। जिसकी आड में व उसके आधार पर ऐनकेन प्रकारेण वादीगण की विवादग्रस्थ भूमि खसरा नम्बर 35/1012, 36 से 45 की पश्चिम दिशा सींव स्थित मिट्टी की मेड को तोडकर वादीगण की बाजरे की फसल को नष्ट करके वादीगण की भूमि को खुर्द बुर्द करके उसकी भूमि में मिलाकर कब्जा करने की धमकी दी जा रही हैं, तथा उस पर नींव खोदकर निर्माण करने पर आमादा हैं। दिनांक 25.07.2024 को सांय 6 से 7 बजे के आस-पास आकर प्रतिवादी संख्या 1 व उसके साथ अन्य चार पांच व्यक्ति वादीगण की खातेदरी व कब्जे काश्तशुदा उक्त आराजीयात की पश्चिम भाग की भूमि पर लगभग 30-35 फुट अन्दर घुस कर पत्थर, बजरी व मकान बनाने की सामाग्री डालने की धमकी दी ओर कहा की उक्त भूमि पर 35 फुट अन्दर पश्चिम में धस कर उत्तर से दक्षिण दिशा मे पूर्व से पश्चिम ख.न. 35/1012, 36 से 45 में जबरन कब्जा कर निर्माण कार्य करेगें तथा वादी संख्या 1 मुकेश यादव को वादी ने मना करने पर वह आग बबूला हो गये और बेदखल कर कब्जा करने की धमकी दी जिसका उनको कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा मद.न. 1 में वर्णित वादीगण की भूमि के आशिंक भाग को भूखण्ड रोड व पार्क सृजित कर योजना मानचित्र मे सम्मिलित कर भूमि को जयपुर विकास प्राधिकरण से इसका नक्शा दिनांक 23. 05.2013 को अनुमोदित करवाया है। जिसमे वादीगण की उक्त भूमि की मश्चिम दिशा की भूमि को अपनी बताकर द्वितीय पक्ष से सांठ-गांठ करं षडयन्त्र पूर्वक तरीके से उसके सहयोग से राजस्व नक्शा की सीमा ओवरलेप करके वादी की भूमि मे प्लाट, रोड व पार्क दिखा कर प्रति. संख्या 2 से उसको अनुमोदित करवाने से उसकी आड मे प्रति.सं. 1 प्रति.सं. 2 के सहयोग से अपने अधिकारी का दुरूपयोग करते हुये वादीगण के सीव जोड ख.न. 36, 40, 41, 42, 44 व 35/1012 की पश्चिम की तरफ से लगभग 30-35 पुट अन्दर घुस कर कब्जा करके हडपना चाहते है जिसका उनको कोई अधिकार प्राप्त नही है तथा उनको ऐशा करने से रोकने का वादीगण को कानूनन अधिकार प्राप्त है। वादीगण अपने कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग की

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

उक्त विवादित भूमि व पश्चिम सींव पर मिट्टी की मेड डोल व बाजरे की फसल की सुरक्षा करने व उपयोग उपभोग करने का कानूनन विधिक अधिकार है तथा वह प्रतिवादीगण को उक्त भूमि पर किसी प्रकार का अवैध अतिक्रमण करने मेड को तोडने व बाजरे की फसल को नष्ट करने व किसी प्रकार की नींव खोदने वं निर्माण करने, से कानूनन रोकने के वादीगण तथा इसी प्रकार की माननीय न्यायालय से स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के वादीगण विधिक अधिकारी भी है। प्रतिवादी पैसे व ताकत के बल यदि वादीगण को अपने कब्जे काश्त व खातेदारी की उक्त वादग्रस्त भूमि व उसकी पश्चिम सीमा को हडपने व उस पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य करने एवं कब्जा करने में कामयाब हो जाते है तो वादीगण को अपने वैधानिक अधिकारो का हनन व अपूर्वतनीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में दावा डिकी होने की सूरत में नहीं हो सकेगी। वादीगण को अपने कब्जे काश्त व खातेदारी की उक्त कृषि भूमि को सुरक्षित रखने व उसका शातिपूर्वक उपयोग उपंभोग करने का वैधानिक अधिकार है वादीगण को कानूनन अधिकार है कि वह अपने कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि की सुरक्षा करे व प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करवाये कि प्रतिवादी वादीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 35/1012, 36 से 45 पर व उसकी पश्चिमं सींव सीमा पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य न स्वयं करे, न नींव खोदे, मेड व मिट्टी की डोल को नष्ट नही करें व बाजरे की फंसल को नष्ट न करें, न कोई गड्ढ/पिल्लर गाडे, जबरिया प्रवेश नहीं करें, तथा न मकान निर्माण की सामाग्री बजरी पत्थर आदी डाले, न अपने एजेन्ट सर्वेन्ट व परिवारजन से करवाये तथा वादीगण की कृषि भूमि पर किसी भी प्रकार से अतिक्रमण नही करें, ना ही वादीगण के कब्जे काश्त उपयांग उपभोग में किसी प्रकार की दखलन्दाजी करें। वादीगण वादअधीन भूमि के रिकार्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है। जबकि वाद अधीन भूमि से प्रतिवादीगण का किसी भी प्रकार का संबंध व सरोकार नही है। विधि के अनुसार वादीगण को यह विधिक अधिकार प्राप्त है कि वे प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित कराये कि वादअधीन भूमि के किसी भी हिस्से पर नाजायज कब्जा नही करें, ना ही वादअधीन भूमि के पुराने सीमा चिन्ह नष्ट नहीं करे, ना भूमि पर गड्ढा खोदे, वादीगण के शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी, हस्तक्षेप, बाधा, रूकावट, मदाखलत, मजाहमत इत्यादि करने तथा बाहुबल के आधार पर नाजायज वादीगण की भूमि पर कब्जा ना करने, तथा उपयोग–उपभोग करने से रोकने से निषेद्ध रहें, तथा किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण करने एवं गड्ढ/पिल्लर नही गाडे तथा अपने–अपने परिवारजनों, एजेंण्ट, प्रतिनिधि, सर्वेण्ट इत्यादि को भी निषेद्ध रखें तथा मौका की यथास्थिति बनायीं रखें। वादीगण की विवादित भूमि खसरा नम्बर 35/1012, 36 से 45 की व उसके लगवा पश्चिम दिशा मे प्रतिवादी की खसरा नम्बर 31, 32, 33, 34, 35, 44/993, की भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम राजस्व रेकोर्ड हाल जमाबन्दी मे दर्ज है। भूमि

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

का वादीगण की उपस्थिति मे वादीगण व प्रतिवादीगण की भूमि का सक्षम अधिकारी तहसीलदार सांगानेर द्वारा सीमाज्ञान करवाकर सीमाचिन्ह नही करवा कर पत्थरगडी नही करवा लेते है तब तक वादो की बाहुलता को रोकने के लिये उक्त भूमि पर व बीच की सीमा पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करने व उक्त भूमि की किस्म कृषि से अकृषि मे परिवर्तन न करने हैतु प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिबंधित करवाने के वादीगण कानूनन अधिकारी हैं। चूँकि प्रतिवादीगण अपनी गैर कानूनी हरकतों से बाज नहीं आ रहें है इसलिये वादीगण को अपने खातेदारी अधिकारों की सुरक्षार्थ माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष यह दावा प्रस्तुत करने हेतु मजबूर होना पड़ा है और चूँकि विवादित भूमि के वादीगण रेकोर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है एंव अपनी उक्त भूमि पर निरन्तर काबिज काश्त चले आ रहें है इसलिये वादीगण को कानूनी संरक्षण प्रदान किया जाना न्यायहित में कानूनन अतिआवश्यक है। बिनायदावा वाद कारण अन्तिम रूप से दिनोंक 30.08.2024 को तब पैदा हुआ जब प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी संख्या 4 हनुमान सहाय को उसकी उक्त विवादग्रस्त कृषि भूमि पर पुनः प्रतिवादी संख्या 1 व उसके साथ अन्य चार पांच बदमाश किस्म के व्यक्ति आऐ ओर वादी को धमकी दी की हमने सब को सेट कर लिया है। तथा बाहुबल के आधार पर बेदखल करने, नाजायज कब्जा करने, खातेदारी व कब्जे काश्तशुदा उक्त आराजीयात की पश्चम भाग की भूमि पर लगभग 30–35 फुट अन्दर धुस कर पत्थर, बजरी व मकान बनाने की सामाग्री डालने की धमकी दी और कहा की उक्त भूमि पर 30–35 फुट अन्दर पश्चिम मे धुस कर पूर्व दिशा मे उत्तर से दक्षिण ख.न. 35/1012, 36. से 45 में जबरन कब्जा कर निर्माण कार्य करेगें भूमि को खुर्द–बुर्द करने की एलानियों धमकी दी तथा उन्होंने उक्त भूमि को मेसर्स श्री कृष्ण कृपा कोलोनाईजर्स के निदेशक छीतरमल चौधरी पुत्र मागीलाल चौधरी से क्रय कर व उसके साथ मिल कर मेरे द्वारा उक्त भूमि को जयपुर विकास प्राधिकरण को सर्मपण करके शिवांक ईन्पोटेक सिटी प्रथम–1 आवसीय योजना सृजित कर प्लाट क़ाट कर प्लाट धारियो को बेचान कर दिया है। एवं धमकी दी की मेने तुम्हारी भूमि के ख.न. 35/1012, 36 से 45 की पश्चिमी सीमा की सिवजोड भूमि को 30–35 फुठ अन्दर की तरफ उनकी होना बताकर उसमे सुविधा क्षेत्र पार्क बताया जाकर नक्शा जयपुर विकास प्राधिकरण से पास करवा लिया है तथा अब तुम को उक्त विवादगस्त तुम्हारी भूमि से बेदखल करने व खुर्द–बुर्द व निर्माण करने की धमकी दी जिससे वाद कारण उत्पन हुआ जो निरन्तर जारी है जिस कारण यह वाद पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का कानूनन प्रस्तुत करना आवश्यक व लाजमी हुआ। वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादीगण की उक्त विवादग्रस्त भूमि के सीवजोड विवाद को आपस मे मिलकर सक्षम अधिकारियो से आपस मे मिलकर नियमानुसार सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाकर विवाद को समाप्त कर लेते है। लेकिन प्रतिवादीगण संख्या 1 द्वारा ऐसा करने से साफ इन्कार कर दिया ओर वादीगण को धमकी दी की उक्त विवादग्रस्त

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

भूमि मेरी है ओर मे इसमे ताकत के बल पर प्रति. संख्या 2 के अधिकारियो के सहायता से कब्जा करके तुमको बेदखल करके रहुगा। वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादीगण की उक्त विवादग्रस्त भूमि पर नाजायज रूप से अवैध तरीके से कब्जा करके निव खोदने व बाउन्ड्रीवाल का निमार्ण करने की धमकी देने पर वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 के समक्ष पूर्व में दिनांक 11.07.2024. 25.07.2024 को सीमा के विवाद को हल करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये लेकिन प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने वादीगण की मदद करने से साफ इन्कार कर दिया। तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 30. 08.2024 को मौके पर आकर धमकी दी कि हमने सभी को सेट कर लिया है अब तुम्हारी भूमि पर कब्जा करके रहेगें से अन्तिम बार वाद कारण उत्पन्न हुआ जो निरंतर आज तक जारी है। प्रतिवादी संख्या द्वारा वादीगण की सीवजोड विवादग्रस्त भूमि को आवासीय से गैर आवासीय योजना मे विकसीत कर प्रतिवादी संख्य 2 को समर्पण करके उसकी किस्म. कृषि से अकृषि में परिवर्तित कर दी गई है तथा हाल जमाबन्दी मे विवादग्रस्त भूमि के सीवजोड की भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज होने से व सीवजोड होने का विवाद होने से प्रतिवादी संख्या 2 जयपुर विकास प्राधिकरण को उक्त प्रकरण मे बतोर प्रतिवादी संख्या 2 पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है। तथा जयपुर विकास प्राधिकरण को पक्षकार उक्त वाद में पक्षकार बनाकर उसके विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिया जाना आवश्यक होता है लेकिन उक्त प्रकरण अतिआवश्यक प्रकृति का होने के कारण उक्त वाद की शीघ्र सुनवाई किया जाना कानूनन आवश्यक हो गया इसलिएं प्रतिवादी संख्या 2 को वाद प्रस्तुत से पूर्व धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस परिस्थिति वश नहीं दिया गया है। तथा नोटिस देने से पूर्व वाद प्रस्तुत करने की अनुमति के लिए अलग से धारा 80 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र वाद पत्र के साथ संलंग है।

अतः वाद पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की फरमाई जावें कि, वाद पत्र की मद नंबर 1 व 2 में उल्लेखित राजस्व ग्राम बालावाला पटवार हल्का लाखना, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मुहाना, तहसील सागांनेर जिला जयपुर स्थित हाल जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 के खाता ख. 208 गत खाता संख्या 180 के ख.न. 35/1012 रकबा 0. 1000 है, ख.न. 36 रकबा 0.4400 है. ख.न. 37 रकबा 0.4200 है. ख.न. 38 रकबा 0.3800 है, ख.न. 39 रकबा 0.5900 है, ख.न. 40 रकबा 0.7800 है. ख. न. 41 रकबा 0.1300 है, ख.न. 42 रकबा 0.5000 है. ख.न 43 रकबा 0.0200 गै.मु. चाह, ख.न. 44 रकबा 0.3300 है., ख.न. 45 रकबा 0.7800 है. कुल किता 11 कुल रकबा 4.4700 है., के वादीगण स. 1 लगायत 4 हिस्से 1/4, 1/4 के काबिज रेकोर्डेड खातेदार काश्तकार है, जिसका उपयोग उपभोग वादीगण बिना किसी बाधा के करते आ रहे है। पर व उसकी पश्चिमी सीव जोड सीमा पर नीव न खोदे, बजरी, पत्थर व मकान निर्माण की सामाग्री न

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

डाले तथा नाजायज कब्जा नही करें, ना ही वादअधीन भूमि में पुराना सीमा चिन्ह नष्ट नही करे, व डोल को नही तोड़े, गड्ढू/पिल्लर नही गाडे, वादीगण की खातेदारी भूमि में जबरिया प्रवेश नही करे, वादीगण के शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी, हस्तक्षेप, बाधा, रूकावट, मदाखलत, मजाहमत इत्यादि करने तथा बाहुबल के आधार पर नाजायज वादीगण की भूमि पर कब्जा ना करने, कच्चा पक्का निर्माण नही करें तथा वादीगण को उपयोग–उपभोग करने से रोकने से निषेद्ध रहें तथा अपने–अपने परिवारजनों, एजेण्ट, प्रतिनिधि, सर्वेण्ट इत्यादि को भी निषेद्ध रखें तथा मौका की यथास्थिति बनायीं रखें, तथा जब तक वादीगण की उक्त विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बरान 35/1012, 36 से 45 के पश्चिम दिशा में सींव जोड लगवा वाद पत्र के मद नम्बर 2 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 32, 33, 35, 44/993, जो भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रेकोर्ड हाल जमाबन्दी मे दर्ज है। का सीमाज्ञान करवाकर अपनी सीमा पर पत्थरगडी नही करवा लेते तब तक उक्त खसरा नम्बरान पर व दोनो की बीच की सीमा पर भी किसी प्रकार की नीव नही खोदे तथा ना बाउन्ड्रीवाल का निर्माण करे तथा अन्य किसी प्रकार का निर्माण कार्य आदि नही करें व उक्त भूमि को कृषि से अकृषि मे परिर्वतित नही करे एवं मौके व रिकोर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। तथा प्रति. सं. 2 वादीगण की भूमि की सीमा के किसी प्रकार के पट्टे जारी नही करे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादी संख्या 1 उपस्थित । प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से वकील मनोज चौधरी ने वकालतनामा पेश। तहसीलदार सांगानेर से सीमाज्ञान पत्थरगढी करवाये जाने हेतु तहरीर जारी की। दिनांक 13.12.2024 को तहसीलदार सांगानेर से मौका रिपोर्ट प्राप्त जो शामिल मिशल है।

वकील वादीगण की बहस सुनी गयी। वकील वादीगण ने अपनी बहस में दावे में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए वाद को डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

पत्रावली व राजस्व रिकार्ड का आद्योपान्त अवलोकन करने व वकील वादीगण की बहस पर मनन करने पर हम इस निकर्ष पहुँचे है कि वाके वाके ग्राम बालावाला पटवार हल्का लाखना तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा न० 32 रकबा 0.16 है0, खसरा न० 33 रकबा 0.12 है०, खसरा न० 34 रकबा 0.08 है०, खसरा न० 44/993 रकबा 0.10 है० कुल किता 4 कुल रकबा 0.46 है० सम्पूर्ण व हाल खसरा न0 31 रकबा 0.43 है0 में से हिस्सा 0.41 है०, खसरा न0 35 रकबा 1.65 है० मे से रकबा 1.12 है० कुल किता 2 कुल रकबा 1.56 है० राजस्व रिकार्ड दर्ज रिकार्डेड काश्तकार खातेदार है। तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त फर्द मौका रिपोर्ट अनुसार सक्षम स्तर से सीमाज्ञान होने के उपरांत ही सीमा निर्धारण की जा सकती है।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

अतः वादीगण का वाद स्थायी निषेधाज्ञा, सीमानिर्धारण अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि वादग्रस्त भूमि खसरा न० 32 रकबा 0.16 है0, खसरा न० 33 रकबा 0.12 है०, खसरा न० 34 रकबा 0.08 है०, खसरा न० 44/993 रकबा 0.10 है० कुल किता 4 कुल रकबा 0.46 है० सम्पूर्ण व हाल खसरा न0 31 रकबा 0.43 है0 में से हिस्सा 0.41 है०, खसरा न0 35 रकबा 1.65 है० मे से रकबा 1.12 है० कुल किता 2 कुल रकबा 1.56 है० वाके ग्राम बालावाला पटवार हल्का लाखना तहसील सांगानेर जिला जयपुर की सीमानिर्धारण प्रार्थी सेटलमेन्ट से सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी नही करवा ले तब तक प्रतिवादीगण को वादी की आराजी में दखल नही देने के लिए स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है। मुताबिक निर्णय पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 03.01.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
जयपुर–द्वितीय, (सांगानेर)
.जयपुर